गंगापुर सिटी

बनाम

लेंड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र 136 एल. आर. ए. नं० 5 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.2.2016	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए प्रार्थी प्रभू पुत्र घीस्या, माली निवासी महुकला तहसील गंगापुरसिटी की ओर से श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया गया। प्रार्थी के वकील को सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. ए. दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही जावे एवं अप्रार्थी की तलबी जरिए नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 2.3.2016 को पेश हो।	
2-3-16	वकील प्रार्थी उप० है। तहसीलदार गंगापुर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस हेतु पत्रावली दि० 12-3-16 को पेश हो।	
12-3-16	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित है। प्रार्थी के वकील को सुना गया। प्रार्थी के वकील ने बताया कि प्रार्थी का सही नाम प्रभू है परन्तु इसे गलत दर्ज कर मयू दर्ज कर दिया गया है। इसकी दुरुस्ती की जाकर अभिलेख में प्रार्थी का सही नाम प्रभू दर्ज किया जावे। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी सं० 2028 से 2031 में घीस्या की विरासत कल्ला, प्रभु, भोला पिता घीस्या के नाम दर्ज हुई है। सं० 2039 की खतौनी जमाबंदी में इसे कल्ला, मयू, भोला पिता घीस्या दर्ज कर दिया गया है। वर्तमान जमाबंदी सं० 2069 से 2072 ख० नं० 94, 95	

MAY BE TREATED WITH SULFUR DIOXIDE FOR FUNGICIDE USE.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ग्राम ताजपुर में कल्ला, मयू, भोला पिता चौसा माली का इन्द्राज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम भू-प्रबन्ध के दौरान प्रभू के स्थान पर मयू दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोकोपी परिवार राशनकार्ड, फोटोकोपी फोटो पहचान पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार प्रार्थी का नाम प्रभू पुत्र चौस्या है। इन दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम मयू के स्थान पर प्रभू दर्ज करवाने का अधिकारी है।	
	अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान ख०नं० 94, 95 ग्राम ताजपुर की जमाबंदी में दर्ज वर्तमान प्रविष्टियां कल्ला, मयू, भोला पि० चौसा जाति माली सा० मह्रूकलां के स्थान पर प्रविष्टियां कल्ला, प्रभू, भोला पि० चौसा जाति माली सा० मह्रूकलां दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। पालना हेतु निर्णय की सत्य प्रति तहसीलदार गंगापुरसिटी को भिजवाई जावे।	
	पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	(रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी — (गोरधनलाल शर्मा) से०नि० तह० सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी — (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	